UPJL010040722024

Presented on : 23-07-2024
Registered on : 23-07-2024
Decided on : 18-11-2025
Duration : 1 years, 3 months, 26 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge D.A.A
AT ,Jalaun
(Presided Over by Dr. Avanish Kumar-II)

Complaint Cases/3000138/2024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेश न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), जालौन स्थान उरई
परिवाद संख्या–138/2024
शशांक शेखर सन्यासी बनाम समरजीत आदि

दिनांक 18.11.2025–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत तथा साक्षी मकरन्द सिंह को बतौर पी0 डब्लू01 तथा प्रभादेवी को बतौर पी0 डब्लू02 धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित कराया है।

तत्पश्चात न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 07.03.2025 से थानाध्यक्ष माधौगढ़ से उक्त परिवाद के संबंध में जांच आख्या अन्तर्गत धारा 202(1) दं.प्र.सं. आहूत की। थाना डकोर द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 05.08.2025 से यह अवगत कराया गया है कि आवेदक शशांक शेखर सन्यासी, पुत्र विशम्भर सिंह यादव, निवासी ग्राम नुनायचा, थाना माधौगढ़, जनपद जालौन, हाल पता चुर्खी चौराहे के आगे, जिला परिषद, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन व विपक्षी समरजीत, पुत्र बलवीर, निवासी ग्राम नुनायचा, थाना माधौगढ़, जनपद जालौन के मध्य खेत/जमीन की रंजिश को लेकर व चुनावी रंजिश के कारण तथा विजेन्द्र सिंह उर्फ साहब सिंह, निवासी नुनायचा के मध्य निकलने के रास्ते को लेकर विवाद है। पक्षकारों के मध्य दीवानी वाद सं. 43/23 न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) में लम्बित है तथा परिवाद सं. 58/23 न्यायालय जे.एम. जालौन में लम्बित है। दिनांक 11.07.2024 को आवेदक शशांक शेखर द्वारा मोटरसाइकिल से जाते समय ग्राम गालमपुरा पार करते ही विपक्षीगण समरजीत, जंगजीत, पुत्रगण बलबीर व आसिक लाल व विजेन्द्र व पुष्पेन्द्र आदि द्वारा मोटरसाइकिल रोककर गाली गलौज व जमीन पर पटककर लाठी डण्डो से मारपीट करने व जेब से 9 हजार रूपये निकालने की बात प्रार्थनापत्र में

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2025.11.18 15:27:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अंकित है तो ग्रामवासी गालमपुरा के लोगों से जानकारी की गयी, जो खेत पर काम कर रहे थे, तो बताया कि साहब गालमपुरा गांव से करीब आधा किमी. नुनायचा की तरफ मेरी जानकारी में कोई घटना/लूटपाट दिनांक 11.07.2024 को नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग अक्सर खेतों पर काम करते है तो सभी लोगों से शपथपत्र देकर बयान अंकित कराने हेतु कहा गया तो उनमें से ग्राम गालमपुरा निवासी प्रेमनारायन, पुत्र शिवदयाल व विमल कुमार, पुत्र राजकुमार सिंह व रामभरत सिंह यादव, पुत्र माताप्रसाद यादव, समस्त निवासीगण गालमपुरा द्वारा शपथपत्र देकर शपथपत्र मे यह अंकित किया है कि मेरे रोड किनारे खेत हैं और हम लोग खेतो की रखवाली के लिये हमलोग रोज जाते हैं। दिनांक 11.07.2024 को पूरे दिन खेतों पर काम कर रहे थे, किसी प्रकार की कोई मारपीट व लूटपाट की घटना नहीं घटी क्योंकि यह रोड पूरे दिन चलता रहता है, दिन की घटना है, ऐसी घटना नहीं हुई है तथा आवेदक द्वारा जो गवाह मकरन्द सिंह को दर्शाया है, वह आवेदक के सगे ताऊ है व दूसरा गवाह आवेदक की सगी मां है। कोई अन्य गवाह नहीं है, जबकि रोड़ काफी चलता है व गालमपुरा के लोग खेतों पर काम कर रहे थे। तत्पश्चात ग्राम नुनायचा में जाकर जानकारी की गयी तो गांव के प्रवेश सिंह यादव, पुत्र शिवपाल सिंह यादव, अतबल सिंह, पुत्र वृन्दावन सिंह, चन्द्रसेन, पुत्र मुरलीधर, व गांव के अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि जंगजीत व समरजीत का विशम्भर सिंह से खेत का विवाद है चल रहा है, इसलिये अक्सर विपक्षीगण को परेशान करने हेतु प्रार्थनापत्र देकर परेशान किया जाता है। यह गांव वालो द्वारा बताया गया कि विजेन्द्र सिंह उर्फ साहब सिंह द्वारा यह जमीन किसी हरिजन से खरीदी गयी थी, जिनको नामित किया गया है तथा यह पांच लोग दिनांक 11.07.2024 के समय 12.00 बजे से लेकर 03.00 बजे तक हमारे साथ ग्राम प्रधान नुनायचा के घर पर थे। अन्य लोग मौखिक बताये, शपथपत्र नहीं दिये। प्रार्थी/आवेदक द्वारा अंकित किया गया है कि दिनांक 11.07.2024 को मैं थाने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और न ही डाक्टरी परीक्षण कराया गया, सिर्फ जांच की कह कर भगा दिया गया, की वह बात पूर्णतः असत्य है क्योंकि आवेदक थाने नहीं आया था। घटना के संबंध में जरिये रजिस्ट्री प्रार्थनापत्र दर्शाया गया है तथा आवेदक के परिवारीजन व विपक्षीगण के मध्य खेत/जमीन की रंजिश को लेकर चुनावी रंजिश व रास्ते से निकलने को लेकर विवाद है, जिसमें दोनों पक्षों के विरूद्ध शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये 107/116 सी.आर.पी.सी. कार्यवाही की जा चुकी है तथा तत्कालीन एस.एस.आई. नन्हेलाल यादव द्वारा वर्ष 2023 में प्रभा देवी, पत्नी विशम्भर सिंह यादव व विपक्षीगण जंगजीत सिंह व समरजीत के विरूद्ध 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की गयी थी तथा आवेदक का परिवार नुनायचा गांव में नहीं रहता है, जो कभी कभी आता जाता है। ताऊ मकरन्द सिंह का परिवार गांव में रहता है। जांच से मारपीट व लूटपाट की घटना का होना नहीं पाया गया। विवेचक ने अपनी जांच आख्या के साथ साक्षीगण प्रेमनारायण, विमल कुमार सिंह, रामभरत, प्रवेश सिंह यादव, अतबल सिंह,

चन्द्रसेन के शपथपत्र, मतदाता सूची की छायाप्रति, प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) सुनीता देवी बनाम विशम्भर आदि की छायाप्रति, वाद संख्या 43/2023, विशम्भर सिंह बनाम शीतल प्रसाद की छायाप्रति, परिवाद सं. 27/2023, श्रीमती सुनीता देवी बनाम विशम्भर आदि पर तलबी आदेश दिनांकित 02.02.2024 की छायाप्रति, उप जिला मजिस्ट्रेट, माधौगढ़ के आदेश दिनांक 18.11.2024 की छायाप्रति संलग्न किये हैं।

परिवादी शशांक शेखर सन्यासी द्वारा थाना माधौगढ़ की आख्या दिनांकित 05.08.2025 पर आपत्ति दिनांकित 30.08.2025 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त मुल्जिमानों द्वारा प्रार्थी के साथ घटना को कारित किया गया था, जिसमें पुलिस ने सुविधा शुल्क प्राप्त कर प्रधान के प्रभाव में आकर झूंठी आख्या/रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रार्थी की मां प्रभा देवी द्वारा पूर्व में दिनांक 22.10.2024 में हल्का इंचार्ज एस.आई. रामऔतार सिंह की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी, जिससे थाना पुलिस प्रार्थी के परिवारजन से रंजिश मानने लगे। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक प्रकीर्ण रिट पिटीशन सं. 22213/2024 प्रस्तुत की थी, जिसमें थाना माधौगढ़ के एस.एच.ओ. पप्पू सिंह, एस.आई. संदीप व रामऔतार सिंह, जगजीत व समरजीत को पार्टी बनाया गया है, जिससे सभी लोग प्रार्थी के परिवारजन से रंजिश मानते हैं। एस.आई. रामऔतार द्वारा प्रस्तुत आख्या में अतबल सिंह, मुल्जिमान समरजीत व जगजीत के सगी मौसी के लड़के हैं। पुलिस रिपोर्ट में संलग्न शपथपत्र विमल कुमार सिंह व रामभरत, न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान देने को तैयार हैं कि वे उक्त घटनास्थल पर एक सप्ताह पहले से गये ही नहीं थे, उनकी जानकारी के बिना शपथपत्रों पर हस्ताक्षर करा लिये गए। हल्का इंचार्ज रामअवतार सिंह विपक्षीगण से मिले हुए हैं। अतः थाने की आख्या निरस्त की जाए।

परिवादी के अधिवक्ता को सुना जा चुका है तथा पत्रावली का परिशीलन किया। उपरोक्त तथ्यों के परिदृश्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी शशांक शेखर ने विपक्षीगण समरजीत सिंह, जगजीत सिंह, आशिक लाल, बृजेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह के विरूद्ध दिनांक 23.07.2024 को परिवाद सं. 138/2024 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें दिनांक 11.07.2024 को परिवादी व उसकी मां प्रभा देवी से विपक्षीगण समरजीत सिंह, जगजीत सिंह, आशिक लाल, बृजेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा गाली गलौज, मारपीट व 9000/–रूपये लूटने का कथन किया गया है। परिवाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने सम्पूर्ण परिवाद पत्र में इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से दीवानी अथवा फौजदारी वाद लम्बित चल रहे हैं। इस प्रकार परिवादी विपक्षीगण के संबंध में तथ्यों को छिपाते हुए यह परिवाद लाया है। प्रार्थनापत्र के संबंध में विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने पर विपक्षीगण द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 06.02.2025 प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि पक्षकारों

के मध्य न्यायालय सिविल जज(जू.डि.), जालौन में मूलवाद संख्या 43/2023 विशम्भर सिंह बनाम शीतला प्रसाद आदि विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध मूलवाद संख्या 43/2023 के वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के पिता विशम्भर सिंह द्वारा विपक्षी सं. 01 व 02 के विरूद्ध बैनामा दिनांकित 28.09.2022 के निरस्तीकरण का वाद दिनांक 03.04.2023 को प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर बैनामा दिनांकित 28.09.2022 की छायाप्रति उपलब्ध है, जो विपक्षी संख्या 01 व 02 द्वारा खरीदी गई भूमि आराजी सं. 647 अ का बैनामा है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर बैनामा दिनांकित 22.09.2022 की छायाप्रति उपलब्ध है, जो परिवादी की मां प्रभा देवी द्वारा खरीदी गई भूमि है। आराजी सं. 647 अ/1 मि. व 656 मि. का बैनामा है। थाने की जांच आख्या में उप जिलाधिकारी, तहसील माधौगढ़ के निर्णय दिनांकित 18.11.2024 की छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें वादी की माता प्रभा देवी द्वारा, उनके द्वारा क्रय की गई भूमि आराजी सं. 647 अ व 656 के संबंध में विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 145 द.प्र.सं. की कार्यवाही किये जाने का प्रार्थनापत्र किया गया था, जो निर्णय दिनांकित 18.11.2024 से निरस्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं. 1 की पत्नी सुनीता देवी द्वारा न्यायालय जे.एम., जालौन में परिवादी व उसके परिवारजन के विरूद्ध परिवाद सं. 27/23, प्रस्तुत किया था, जिसमें परिवादी के परिवारजन, न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.02.2024 से विचारण हेतु तलब किये जा चुके हैं। ऐसी दशा में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में विपक्षीगण की पहचान व उनके मध्य चल रहे, दीवानी व फौजदारी वादों का तथ्य छिपाकर यह परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि परिवादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आया है। थाने द्वारा अपनी जांच आख्या के साथ ग्रामीणजन प्रेमनारायण, विमल कुमार सिंह, रामभरत, प्रवेश सिंह यादव, अतबल सिंह, चन्द्रसेन के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके द्वारा प्रश्नगत घटना होने से इंकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध बैनामा दिनांकित 28.09.2022 तथा बैनामा दिनांकित 22.09.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष मिनजुमला भूमि आराजी सं. 647 अ के सहखातेदार हैं, जिनके मध्य सीमांकन का विवाद विद्यमान है। परिवादी के पिता ने विपक्षी सं. 1 व 2 के विरूद्ध बैनामा दिनांकित 28.09.2022 के निरस्तीकरण का दीवानी वाद भी प्रस्तुत किया है। विपक्षी सं. 01 की पत्नी द्वारा, परिवादी के परिवारजन पर परिवाद सं. 58/23 योजित किया गया है। इस दशा में परिवादी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए यह परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में थाने की आख्या द्वारा उक्त घटना के सत्य होने से पूर्णतः इंकार किया गया है और समर्थन में ग्रामीणजन के शपथपत्र भी संलग्न किये गये हैं। इस प्रकार परिवाद में दर्शायी गई घटना पेशबंदी में किया जाना स्पष्ट होती है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा, विपक्षीगण समरजीत सिंह, जगजीत सिंह, आशिक लाल, बृजेन्द्र सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पर दबाव बनाने के लिये यह

झूठा परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें इस विचारण हेतु तलब किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः यह परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी शशांक शेखर सन्यासी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किया जाता है। थाने की आख्या दिनांकित 05.08.2025 तथा उक्त के संबंध में परिवादी की आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 18.11.2025

(डॉ0 अवनीश कुमार–।।)
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.)
जालौन स्थान उरई।